दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 17.11.2009
निर्णय की तिथि: 15.01.2010

<u>आप.अ. सं. 176/1995</u>

राज्य ... अपीलार्थी

द्वारा: श्री आशीष कुमार, अधिवक्ता।

बनाम

रणबीर सिंह ... प्रत्यर्थी

द्वारा श्री के.बी. आंदले, वरिष्ठ अधिवक्ता
सह श्री एम.एल. यादव, अधिवक्ता।

<u>कोरमः</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल
माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत भरीहोक

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जानी है? हाँ
2. रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित होना चाहिए? हाँ

संजय किशन कौल, न्या.

1. अभिरक्षा में मृत्यु होना इस कृत्य का प्रकटीकरण है कि विधि के रक्षक ही अपराधकर्ता बन जाते हैं।

2. अर्ल वॉरेन ने कहा है, "पुलिस को विधि लागू करते समय विधि का पालन करना चाहिए"। हमारे समक्ष एक ऐसा मामला आया है जहाँ प्रत्यर्थी के खिलाफ़ अभिरक्षा में एक व्यक्ति की मृत्यु का आरोप है, हालाँकि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

3. मृतक दयाल सिंह को गोविंदपुरी स्थित उसके आवास से 19.09.1986 को पूर्वाह्न 5:30 बजे सुश्री सुमति जैन, निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी 3, नई दिल्ली के घर से वी.सी.आर., कुछ कैसेट और साड़ियाँ आदि चोरी करने के आरोप में पुलिस थाना श्रीनिवासपुरी में भा.दं.सं. की धारा 380 के तहत प्राथमिकी सं. 365/1986 दर्ज करने के बाद उ.नि. रणबीर सिंह द्वारा उठाया गया था। शिकायत सुमति जैन की बहन सुश्री सुधा सुंदरम ने की थी। श्रीमती सुमति जैन ने अपने बयान में अपने किसी भी पूर्व या वर्तमान नौकर पर संदेह नहीं जताया। मृतक/दयाल सिंह एक पूर्व कर्मचारी था जिसने श्रीमती सुमति जैन के घर पर चौकीदार के रूप में काम किया था और उसकी सेवाएँ 15.09.1986 को, अर्थात् कथित चोरी की तिथि

को समाप्त कर दी गई थीं। इस प्रकार संदेह मृतक पर आया और प्रत्यर्थी को जाँच का ज़िम्मा सौंपा गया।

4. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक को 19.09.1986 को प्रत्यर्थी द्वारा उसकी झुग्गी से उठाकर पुलिस थाना श्रीनिवासपुरी लाया गया था जहाँ उसकी गिरफ़्तारी दर्ज की गई थी। आरोप यह है कि मृतक को प्रताड़ित किया गया और बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद 20.09.1986 को उसकी मृत्यु हो गई जब वह प्रत्यर्थी, कॉन्स्टेबल शिव कुमार त्यागी और कॉन्स्टेबल मुख्तियार हुसैन की अभिरक्षा में ही था। मृतक को एम्स ले जाया गया जहाँ 20.09.1986 को पूर्वाह्न 12.30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।

5. मृतक के शरीर को शव परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिसे अभि.सा.-19/डॉ. आर.के. शर्मा द्वारा किया गया था, उन्होंने कहा था कि मौत का कारण सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा था, जो कि मृत्यु से पहले लगी थी और संभावना है कि यह कुंद बल के प्रयोग के कारण लगी थी। इन चोटों की प्रकृति सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। एस.डी.एम. ने दं.प्र.सं. की धारा 176 के तहत जाँच कार्यवाही की और बताया कि मौत 20.09.1986 को यातना देने के कारण पुलिस अभिरक्षा में हुई थी। भा.दं.सं. की धारा 120 ख के साथ सहपठित धारा 302 के तहत प्राथमिकी सं. 17/1987 गृह सचिव, दिल्ली प्रशासन के अनुसरण में एस.डी.एम. द्वारा की गई जाँच कार्यवाही

के आधार पर पुलिस अभिरक्षा में मृतक की मौत का कारण बताते हुए 14.09.1987 को दर्ज की गई थी।

6. अभियोजन पक्ष का दावा है कि मृतक को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि एक बार तो वह सुश्री सुमति जैन के एक अन्य घरेलू नौकर की उपस्थिति में भी बेहोश हो गया था। मृतक को सुश्री सुमति जैन की जिप्सी में गोविंदपुरी ले जाया गया था जिसे उसके ड्राइवर अभि.सा.-12/कामता पांडे चला रहा था। इसके बाद पुलिस उसे बी-12, महारानी बाग के सर्वेंट क्वार्टर में ले गई, जहाँ अभि.सा.-4/वैशाख सिंह (मृतक का बहनोई) अपनी पत्नी अभि.सा.-5/श्रीमती कमला के साथ रह रहा था, ताकि चोरी किए गए सामान की तलाश की जा सके। इसके बाद मृतक को एम्स ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

7. भा.दं.सं. की धारा 304 के तहत प्रत्यर्थी के खिलाफ़ अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, आरोप भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत तय किए गए थे, जिस पर प्रत्यर्थी ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया और विचारण का दावा किया।

8. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 24 साक्षियों से पूछताछ की।

9. अभि.सा.-1/एचसी नरिंदर सिंह ने मृतक को एक कमज़ोर व्यक्ति बताया जो बीमार लग रहा था, हालाँकि जब उसे पुलिस थाना लाया गया तब उसे कोई चोट नहीं थी।

10. मृतक की स्वास्थ्य स्थिति पर भौतिक साक्षी अभि.सा.-4/वैसाख सिंह ने कहा कि मृतक फ़्रेंड्स कॉलोनी में जैन के आवास पर सुरक्षा गार्ड-सह-चौकीदार के रूप में काम कर रहा था। यह रिकॉर्ड में आया है कि मृतक पहले से ही टी.बी. से पीड़ित था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक हो गया था और घटना से दो साल पहले से ही सामान्य जीवन जी रहा था। प्रत्यर्थी अभि.सा.-4/वैशाख सिंह के घर चोरी के सामान की खोज करने के लिए आया था जिसकी अनुमति थी। पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि मृतक की चिकित्सीय स्थिति ठीक था और वह तंदुरुस्त था और अगले दिन पुलिस थाना में उससे मुलाकात की जा सकती थी। हालाँकि, अगली सुबह उसे बताया गया कि मृतक की हालत गंभीर है और जब वे पुलिस थाना गए तो उसे बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है।

11. पुलिस थाना में जो कुछ हुआ, उसके संबंध में अभि.सा.-7/संजीव कुमार और अभि.सा.-11/एस.आर.तेवतिया अपने बयान से पलट गए। मृतक और प्रत्यर्थी दोनों अभि.सा.-12/कामता पांडे द्वारा चलाए जा रहे वाहन में थे, जो जैन परिवार का ड्राइवर था। अभि.सा.-12/कामता पांडे ने बताया कि जब वे महारानी बाग से आश्रम की ओर बढ़े तो रास्ते में जलपान के लिए रुके। इसके बाद वे एम्स गए। उसने

आगे कहा कि गोविंदपुरी से महारानी बाग, आश्रम से एम्स तक के रास्ते में कोई गतिरोधक नहीं था और न ही उन्हें आपातकालीन ब्रेक लगाने की कोई आवश्यकता महसूस हुई। प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि ओखला में रेलवे फाटक के पास जैसे ही उसने रेलवे फाटक पार की, वहाँ गतिरोधक था लेकिन उसकी गाड़ी की गति काफ़ी धीमी थी।

12. सुश्री सुमति जैन के एक अन्य सहायक अभि.सा.-13/ज़िले सिंह ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विवरण दिया है। मृतक अभि.सा.-13/ज़िले सिंह और एक सफ़ाईकर्मी को पूर्वाह्न 9.30 बजे उस कमरे में ले जाया गया जहाँ उ.नि. सुखी राम बैठे थे। प्रत्यर्थी ने अभि.सा.-13/ज़िले सिंह से अपनी घड़ी उतारने को कहा और उसके हाथों को डंडे से पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद उसे ज़मीन पर लेटने के लिए कहा और दो पुलिसकर्मियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। राज कुमार और एक चौकीदार ने भी उसके पैर पकड़कर पुलिस की मदद की। उसे लोहे की बेंच पर बिठाया गया और 6 पुलिसकर्मियों ने उनकी जाँघों पर रोलर चलाया। ऐसा कहा जाता है कि यह यातना दिन-रात जारी रही और अगले दिन, शर्मा नामक एक अति.लो.अभि. भी पिटाई में शामिल हो गया। अभि.सा.-13/ज़िले सिंह ने कहा है कि 16 की रात को उसे फिर से पीटा गया था जब उसके सिर को दीवार पर कई बार मारा गया था, इसके अलावा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे गए थे जिससे उसकी आँख और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगी थी। शर्मा पर आरोप

है कि उसने अभि.सा.-13/ज़िले सिंह की पत्नी को लाने और उसके सामने उसके साथ छेड़छाड़ करने की भी धमकी दी थी। 17 की शाम को ही वे अभि.सा.-12/कामता पांडे द्वारा चालित मारुति जिप्सी में उसके आवास पर गए। प्रत्यर्थी ने अभि.सा.-13/ज़िले सिंह को सूचित किया कि उसके बाद उसे पीटा नहीं जाएगा और उसे शरीर पर लगाने के लिए आयोडेक्स दिया गया और नहाने के लिए नए कपड़े और गर्म पानी भी दिया गया। अभि.सा.-13/ज़िले सिंह को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह उसी दिन अपनी चिकित्सीय जाँच नहीं कराएगा।

13. एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी अभि.सा.-16/सहा.पु.आयु. रणबीर सिंह, जो सितंबर, 1986 में पुलिस थाना श्रीनिवासपुरी का थानाध्यक्ष था। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि प्राथमिकी दर्ज होने पर, जाँच प्रत्यर्थी को सौंपी गई थी। अभि.सा.-16/सहा.पु.आयु. रणबीर सिंह ने सुश्री सुमति जैन के दो कर्मचारियों से बात की, जिनको प्रत्यर्थी ने पकड़ लिया था, जिसमें मृतक दयाल सिंह भी शामिल था और प्रत्यर्थी से कहा कि वह दयाल सिंह के साथ विनम्र रहे क्योंकि वह कमज़ोर था और टी.बी. का संदिग्ध रोगी था। साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि जब प्रत्यर्थी आया तो वह पूछताछ कक्ष में था और एक बार फिर प्रत्यर्थी को मृतक/दयाल सिंह के साथ संभलकर रहने की सलाह दी गई। 19-20 सितंबर की मध्यरात्रि में लगभग पूर्वाह्न 1.30 बजे प्रत्यर्थी ने उसे जगाया और बताया कि दयाल सिंह/मृतक ने सीने में दर्द की शिकायत की थी और उसे एम्स ले जाया

गया। इसके बाद अभि.सा.-16/ सहा.पु.आयु. रणबीर सिंह ने जांच कार्यवाही के लिए एसडीएम को प्रार्थना पत्र भेजा। पु.उपा. को एक गोपनीय पत्र भेजा गया जिसके आधार पर एक समिति का गठन किया गया और अभि.सा.-19/डॉ.आर.के.शर्मा की शव परीक्षण रिपोर्ट की दोबारा जाँच की गई। हालाँकि, यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि जब उक्त साक्षी अस्पताल गया तो मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं थी।

14. अभि.सा.-18/रवि मलिक एसडीम हैं जिन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट की दोबारा जाँच के लिए एक बोर्ड गठित करने के अनुरोध के साथ थानाध्यक्ष का गोपनीय नोट प्राप्त करने के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। इस साक्षी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने प्रत्यर्थी के खिलाफ़ भा.दं.सं. की धारा 120ख के साथ सहपठित धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने और कुछ हद तक कॉन्स्टेबल शिव कुमार, कॉन्स्टेबल मुख्तियार हुसैन और अति.लो.अभि. श्री शर्मा के खिलाफ़ मामला दर्ज करने की राय दी थी।

15. अभि.सा.-19/डॉ.आर.के.शर्मा, जिनकी राय की ऊपर चर्चा की गई है, ने मृतक के शव का शव परीक्षण किया। अभि.सा.-19 ने यह भी राय दी है कि मृतक संक्रामक नहीं था और उसे मामूली जटिलता के अलावा कोई जटिलता नहीं थी, जो कि ठीक होने के चरण में टी.बी. के मामलों में आम है।

16. अभि.सा.-17/डॉ. यू.सी. धवन ने मृतक के ओपीडी कार्ड मिलान किया। मृतक का आखिरी एक्स-रे 07.09.1986 को किया गया था, जिससे पता चला कि रोगी की हालत में सुधार हुआ था और उसे कैल्सीफ़ाइड और फ़ाइबेटिक घाव हो गया था। उनका मानना है कि टी.बी. के कारण उसके मृत्यु की संभावना बहुत कम थी।

17. अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान रिकॉर्ड होने पर प्रत्यर्थी का बयान दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि पूरे समय मृतक उसकी अभिरक्षा में था और कहा कि वह एक कमज़ोर व्यक्ति था। प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि वह पुलिस थाना से गोविंदपुरी तक महारानी बाग से एम्स तक एक मारुति जिप्सी में गया था जो सुश्री सुमति जैन की थी। उन्होंने दावा किया कि रास्ते में गतिरोधक और रेलवे फाटक थे। आरोप तय करने के समय, प्रत्यर्थी ने खुद को निर्दोष बताया और विचारण का दावा किया। आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.12.1994 के संदर्भ में, प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।

18. प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान अभि.सा.-19/डॉ.आर.के.शर्मा की शव परीक्षण रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया, जिसमें निम्नलिखित मृत्युपूर्व चोटें पाई गईं:

"1. दाहिनी जाँघ के मध्य में 8 x 6 से.मी. के आकार की नील पड़ी चोट है।

2. दाहिनी ठुड्डी पर एक तिहाई आगे की ओर 6 x 1 से.मी. के आकार की नील पड़ी चोट है।

3. बाईं पिंडली में सामने की ओर 3 x 4 से.मी. के आकार का नील पड़ा क्षेत्र है।

4. दाहिनी ठुड्डी पर 18 x 7 से.मी. के आकार का नील पड़ा क्षेत्र है।

5. बॉडीलाइन के लगभग लंबवत बायीं कोहनी पर एक-तिहाई पीछे चार नील पड़ी चोटें मौजूद हैं, प्रत्येक की लंबाई 3 से.मी. और चौड़ाई 5 से.मी. है। प्रत्येक चोट के बीच का स्थान से.मी. था।

6. बाईं पिंडली की हड्डी के अंत में टखने के अंदरूनी हिस्से की उभरी हड्डी पर 3 x 2 से.मी. के आकार की चोट है।

7. बाई जाँघ के पीछे के ऊपरी एक तिहाई भाग पर 6 x 1 से.मी. के आकार की चोट है।

8. हाथ के दाहिने पृष्ठ भाग पर सूजन और जोड़ पर खून था।

9. रेडियल और कुहनी की हड्डी दोनों में एक-तिहाई फ्रैक्चर।"

19. डॉक्टर ने मृतक की स्वास्थ्य स्थिति निम्नानुसार बताई है:

"**<u>खोपड़ी</u>**

मध्य ललाट क्षेत्र में खून की अधिकता थी। खोपड़ी में कोई फ्रैक्चर नहीं दिखा। मस्तिष्क संकुचित, सूजा हुआ और वज़न में 1400 ग्राम था। दाएँ पश्चकपाल खण्ड क्षेत्र में 8 x 6 से.मी. के आकार का अवदृढ़तानिकी रूधिरगुल्म मौजूद था। मस्तिष्क में कुछ पेथिचल रक्तस्राव मौजूद थे।

<u>छाती</u>

ट्रैक्टा और श्वासनलियों में संकुल था। बाएँ फुफ्फुस गुहा में फेफड़ों में आसंजन दिखाई दिया। दाएँ फेफड़े में ट्यूबरक्लोसिस का संकेत देने वाला कैसिएशन दिखाई दिया, बाएं फेफड़े में फुफ्फुस गुहा के अलावा कैसिएशन दिखाई दिया।

बाकी अंग सामान्य थे। मृत्यु का अनुमानित समय शव परीक्षण शुरू होने से लगभग 12 से 14 घंटे पहले था।"

20. इसके बाद उक्त अभि.सा.-19/डॉ. आर.के. शर्मा ने राय दी कि मौत का कारण सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा था, जो कि मृत्यु से पहले लगी थी और संभावना है कि यह कुंद बल के प्रयोग के कारण लगी थी और प्रकृति में सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। अपीलार्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस परिसाक्ष्य को अभि.सा.-1/एच.सी. नरिंदर सिंह के परिसाक्ष्य के साथ पढ़ने को कहा, जो मृतक को लेने के लिए प्रत्यर्थी के साथ गया था। साक्षी ने बताया कि मृतक एक कमज़ोर व्यक्ति था और बीमार लग रहा था और जब मृतक को पुलिस थाना लाया गया तो उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। अपीलार्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता की दलील यह है कि बयानों से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जब मृतक को उठाया गया था तो उसे कोई चोट नहीं लगी थी और दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए प्रत्यर्थी के बयान में उसकी खुद की स्वीकृति के अनुसार मृतक पूरे समय उसकी अभिरक्षा में था और चोटें उक्त अवधि के दौरान लगी थीं और इस प्रकार यह प्रत्यर्थी को बताना था कि आखिर वे चोटें कैसे लगी थीं। इस संबंध में, अभि.सा.-16/सहा.पु.आयु. रणबीर सिंह का परिसाक्ष्य भी महत्वपूर्ण है जो पुलिस थाने के थानाध्यक्ष हैं और उन्होंने विशेष रूप से प्रत्यर्थी को स्वास्थ्य कारणों से मृतक से पूछताछ करते समय सावधान रहने के लिए कहा था। इस प्रकार प्रत्यर्थी को मृतक की शारीरिक स्थिति का पूरा ज्ञान था।

21. जहाँ तक मृतक के टी.बी. से पीड़ित होने का प्रश्न है और यह कि इसका मृतक की मृत्यु से कुछ संबंध है, शव परीक्षण रिपोर्ट और अन्य अभिसाक्ष्यों से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है कि मृतक टीबी से ठीक हो गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वह किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं था। वास्तव में, प्रत्यर्थी की ओर से दलील दी गई थी कि वाहन के अचानक ब्रेक लगाने के कारण, मृतक का सिर जिप्सी के लोहे के फ़्रेम की रॉड से टकरा गया था, जिस पर रेक्सिन लगी हुई थी, जिसके कारण उसे चोट लगी। यह दावा अभि.सा.-12/कामता पांडे के परिसाक्ष्य से इस आशय से गलत साबित होता है कि वास्तव में जिप्सी में सवार किसी भी व्यक्ति का सिर फ़्रेम के लोहे के पाइप से नहीं टकराया था। प्रत्यर्थी की जाँच के दौरान का दृष्टिकोण अभि.सा.-13/ज़िले सिंह के बयान से स्पष्ट है, जिसके साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया गया था। वह श्रीमती सुमति जैन के कर्मचारियों में से भी एक था, जिसके घर चोरी हुई थी।

22. अपीलार्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार तर्क दिया है कि मृतक को यह चोटें किस प्रकार पहुँचीं, यह प्रत्यर्थी की जानकारी में था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के प्रावधानों के मद्देनज़र उस तथ्य को साबित करने का भार प्रत्यर्थी पर था।

23. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देकर आक्षेपित निर्णय का बचाव करने की माँग की कि महत्वपूर्ण साक्षी अपने बयान से मुकर गए थे,

मृतक टी.बी. का रोगी था, चोट जीप में लगी थी और *राजस्थान राज्य बनाम नरेश उर्फ़ राम नरेश; 2009 (4) जे.सी.सी. 2552* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनज़र उक्त बरी के खिलाफ़ निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

24. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया गया आखिरी पहलू यह था कि प्रत्यर्थी के खिलाफ़ विचारण चलाने की मंज़ूरी भा.दं.सं. की धारा 304 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए थी, न कि भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत जिसके तहत प्रत्यर्थी पर आरोप लगाया गया था।

25. हम सबसे पहले अंतिम विवाद से निपटना चाहेंगे जो कि एक पुलिस अधिकारी पर अभियोजन चलाने के लिए आवश्यक मंज़ूरी की प्रकृति का है। वर्तमान मामले में, मंज़ूरी प्राप्त की गई थी। यह मंज़ूरी प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कृत्य/अपराध के लिए थी। इस प्रकार मंज़ूरी को भा.दं.सं. के किसी विशेष प्रावधान तक सीमित रखने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वर्तमान मामले में वास्तव में किसी मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रत्यर्थी पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे अपराध कर्तव्य के दौरान किए गए थे। इस संबंध में, हम *प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2007) 1 एस.सी.सी. 1* के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। *दलबीर सिंह बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य*

ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 167 के हालिया निर्णय में, यह देखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 22 के तहत मौलिक अधिकारों की अवहेलना करने के लिए यातना और अभिरक्षा में हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सी.बी.आई. बनाम धर्मपाल सिंह और अन्य 123 (2005) डी.एल.टी. 592 में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा है कि किसी व्यक्ति को पीटने और प्रताड़ित करने का पुलिसकर्मी का प्रत्येक कार्य किसी भी सुरक्षा के दायरे में नहीं आता है और न ही यह उसके कर्तव्यों का हिस्सा है। इस प्रकार, अभिवाक को केवल इस संबंध में स्थापित विधिक स्थिति के मद्देनज़र खारिज किया गया है।

26. मामले की गुणागुण के आधार पर, यह वास्तव में विवादित नहीं है कि जब मृतक को पुलिस ने उठाया था तो उसे कोई चोट नहीं थी। वास्तव में, यह प्रत्यर्थी की स्वयं की स्वीकृति है, जैसा कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए बयान से स्पष्ट है। अभि.सा.-1/एच.सी. नरिंदर सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जब मृतक को पुलिस थाना लाया गया था तो उस पर चोट के निशान थे। हालाँकि, यह कहा गया है कि मृतक कमज़ोर शारीरिक स्थिति में लग रहा था।

27. मृतक टी.बी. का रोगी था लेकिन वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। यह तथ्य अभि.सा.-4/वैशाख सिंह (मृतक के बहनोई) के परिसाक्ष्य से स्थापित होता है। इतना ही नहीं, चिकित्सीय साक्ष्य और अभि.सा.-19/डॉ. आर.के. शर्मा के परिसाक्ष्य से पता चलता है कि जब मृतक के शव की शव परीक्षण की गई, तो मृतक को

संक्रामक नहीं पाया गया और उसमें मामूली जटिलता को छोड़कर कोई जटिलता नहीं थी, जो कि ठीक होने के चरण में टी.बी. के मामलों में आम है। अभि.सा.-17/डॉ.यू.सी. धवन ने मृतक के ओपीडी कार्ड के आधार पर राय दी कि मृतक की टी.बी. के कारण मृत्यु होने की संभावना बहुत कम थी। मृत्यु का कारण, जैसा कि अभि.सा.-19/डॉ. आर.के. शर्मा ने बताया है, सिर की चोट के परिणामस्वरूप कोमा था, जो कुंद बल के प्रयोग से मृत्यु से पहले हुआ था और प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।

28. प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि मृतक पूरे समय उसकी अभिरक्षा में था। जब प्रत्यर्थी द्वारा मृतक को अभिरक्षा में लिया गया तब उसे कोई चोट नहीं थी। शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोटें पाई गई हैं, जिसे अभि.सा.-19/डॉ. आर.के. शर्मा ने प्रमाणित किया है। इस प्रकार यह प्रत्यर्थी को बताना था कि मृतक को इतनी सारी चोटें कैसे लगी होंगी, जिसका विवरण उपरोक्त पैरा 18 में दिया गया है।

29. प्रत्यर्थी का मामला है कि मृतक की मृत्यु जिप्सी में लगे लोहे के एंगल से सिर टकराने के कारण हुई। जिप्सी को अभि.सा.-12/कामता पांडे चला रहा था, हालाँकि उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके परिसाक्ष्य का कुछ हिस्सा बाकी से अलग किया जा सकता है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रेक लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं था क्योंकि उसके रास्ते में कोई भी गतिरोधक या

रेल फाटक आया ही नहीं था और वह गाड़ी तेज़ नहीं चला रहा था। उसने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान किसी का सिर एंगल रॉड से नहीं टकराया था।

30. प्रत्यर्थी द्वारा दर्ज की गई केस डायरी इस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाती है और यह केस डायरी प्रद.अभि.सा.16/ख के रूप में साबित की गई है। सुनवाई के दौरान इस बात पर कुछ विवाद हुआ कि क्या दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत प्रत्यर्थी के बयान में वह विशेष पहलू रखा गया था। हमने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत प्रत्यर्थी का एक अतिरिक्त बयान निम्ननुसार दर्ज किया:

> "प्रश्न: यह आपके खिलाफ़ साक्ष्य में है कि केस डायरी प्रद.अभि.सा.16/ख आपके द्वारा 20.09.1986 को दर्ज की गई थी जिसमें आपने नोट किया था कि मृतक अस्वस्थ महसूस कर रहा था, आपने जिप्सी रोकी और पानी लेने गए और जब आप वापस आए तो आपने पाया कि मृतक सीट से जिप्सी के फ़र्श पर गिर गया था और अन्य पुलिस कॉन्स्टेबल मृतक को वापस सीट पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। उक्त कॉन्स्टेबलों ने बताया कि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, मृतक फ़र्श पर सिर के बल गिर गया और बेहोश हो गया था। आपका क्या कहना है?

उत्तर: मैंने केस डायरी प्रद.अभि.सा.16/ख देखी है। यह मेरे हाथ से दर्ज की गई है और मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है। मैंने केस डायरी में तथ्य सही-सही लिखे हैं।"

31. उपरोक्त से पता चलता है कि प्रत्यर्थी के अनुसार, मृतक अस्वस्थ महसूस कर रहा था, जिप्सी रोक दी गई थी और प्रत्यर्थी पानी लेने गया था और जब वह वापस आया, तो मृतक सीट से जिप्सी के फ़र्श पर गिरा हुआ था और अन्य पुलिस अधिकारी मृतक को वापस सीट पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। यह तथ्य प्रत्यर्थी के स्वयं के हाथ से केस डायरी प्रद.अभि.सा.16/ख में दर्ज है और प्रत्यर्थी ने इसे स्वीकार भी किया है। मृतक के सिर पर लोहे की रॉड लगने की कहानी स्पष्ट रूप से काल्पनिक है और प्रत्यर्थी द्वारा अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान की गई पिटाई के कारण मृतक को लगी चोटों को छिपाने का प्रयास है।

32. हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि जहाँ तक मृतक की चिकित्सीय स्थिति का प्रश्न है, यह कहा गया है कि वह कमज़ोर आदमी था। घटना के समय स्थानीय पुलिस थाने के थानाध्यक्ष, अभि.सा.-16/सहा.पु.आयु. राजबीर सिंह ने कहा है कि उन्होंने प्रत्यर्थी से मृतक से सावधानी बरतने के लिए कहा था क्योंकि वह कमज़ोर आदमी था। इस प्रकार, यदि कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण मरने वाले मृतक को चित्रित करने की कोशिश की जाती है, तो यह प्रत्यर्थी के लिए कोई अज्ञात

तथ्य नहीं था। इतना ही नहीं, इसे विशेष रूप से अभि.सा.-16 द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया था। अभि.सा.-1/एच.सी. नरिंदर सिंह ने भी मृतक की कमज़ोर स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है।

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ प्रत्यक्ष साक्षी मुकर गए हैं, लेकिन पूछताछ के दौरान संदिग्धों के साथ जो व्यवहार किया गया, वह अभि.सा.-13/ज़िले सिंह के परिसाक्ष्य से उपलब्ध है, वह भी सुश्री सुमति जैन के घर काम कर रहा था। अभि.सा.-13/ज़िले सिंह के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया गया, जहाँ दो पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा, जबकि उसके पैर पकड़े हुए थे। दिन-रात पिटाई जारी रही और उसकी जाँघों पर रोलर घुमाए गए। उसका सिर दीवार से मारा गया। उसे धमकी दी गई कि उसके सामने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की जाएगी। आखिरकार, उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वह ज़िम्मेदार नहीं था लेकिन इस धमकी के साथ कि वह अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहेगा।

34. हमारे विचार में, जब मृतक को कोई शारीरिक चोट नहीं थी, उसकी स्वास्थ्य स्थिति बहुत मज़बूत नहीं थी, और यह तथ्य प्रत्यर्थी को ज्ञात था और प्रत्यर्थी को विशेष रूप से मृतक के साथ सावधानी बरतने के लिए कहा गया था, उस समय मृतक के सिर की चोटों सहित शरीर पर दिखाई देने वाली विभिन्न चोटें शव परीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से केवल एक ही तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि पूछताछ के दौरान मृतक के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया गया था, जिससे

उसके शरीर पर काफ़ी शारीरिक चोटें आईं, जिसे वह सहन नहीं कर सका और चोटों के कारण, विशेष रूप से सिर की चोट के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी यह बताने में सक्षम नहीं है कि ऐसी चोटें कैसे और कहाँ से लगी होंगी और जीप में लोहे की रॉड से सिर पर वार करने की कहानी पूरी तरह से झूठ है, इस तथ्य के अलावा कि यह कहानी अन्य चोटों की व्याख्या नहीं करती है। अभि.सा.-12/कामता पांडे ने अभिसाक्ष्य दिया है कि ऐसी कोई रॉड या पाइप नहीं थी जिससे यात्री का सिर पर वार किया जा सके और न ही इस तरह कोई ब्रेक लगाया गया था जिसके कारण सिर किसी चीज़ से टकरा सकता था जिससे चोट लग सकती थी। प्रत्यर्थी ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने बयान में वास्तव में कहा है कि मृतक की मृत्यु उसकी बीमारी के कारण हुई।

35. इस प्रकार हमारा स्पष्ट मानना है कि प्रत्यर्थी को संदेह का लाभ देने वाला आक्षेपित निर्णय रिकॉर्ड पर पेश इतने स्पष्ट और असंदिग्ध साक्ष्य के आधार पर बनाए नहीं रखा जा सकता है। प्रस्तुत साक्ष्य प्रत्यर्थी के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, भले ही थोड़ा भी संदेह हो, तो लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए, लेकिन एक दोषी व्यक्ति को बरी करना न्याय की बड़ी विफलता होगी जो किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। यह ज़िम्मेदारी प्रत्यर्थी पर कहीं अधिक है क्योंकि वह एक पुलिस अधिकारी है न कि कोई आम आदमी। लॉर्ड स्कर्मन ने इस प्रकार कहा था, "एक पुलिस राज्य

और एक राज्य जहाँ पुलिस कुशल है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित है, के बीच का अंतर बहुत कम है।" पुलिस को कुशलतापूर्वक काम करना होगा लेकिन हम पुलिस राज्य नहीं हैं जहाँ एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रत्यर्थी को अपराध स्वीकार करने के प्रयास में किसी भी तरीके का उपयोग करने की स्वतंत्रता है।

36. अगला प्रश्न जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता वह यह है कि प्रत्यर्थी ने कौन सा अपराध किया है? प्रत्यर्थी पर भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध का आरोप लगाया गया था। ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों से, यह स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु प्रत्यर्थी द्वारा मृतक से अपराध के बारे में स्वीकृति/जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए अत्यंत क्रूर व्यवहार करने के कारण हुई। शव परीक्षण रिपोर्ट और डॉ. आर.के. शर्मा, अभि.सा.19 के परिसाक्ष्य के अनुसार, मृतक को 9 चोटें लगी थीं, जिनमें से अधिकांश शरीर के गैर महत्वपूर्ण भागों लगीं नील पड़ी चोटें थीं। डॉ. आर.के. शर्मा की राय के अनुसार मृतक की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से कोमा में जाने के कारण हुई है। डॉक्टर को खोपड़ी में कोई फ्रैक्चर नहीं मिला। मृतक को लगी चोटों की प्रकृति से, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्या प्रत्यर्थी का मृतक की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा था या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का कोई इरादा था जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने अनिच्छा से मृतक के सिर पर बहुत प्रबल प्रहार किया या शायद उसने मृतक के सिर पर

किसी कठोर सतह से प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्य से दयाल सिंह की मृत्यु हो गई, भले ही उसका मृत्यु के कारण बनने का, या कोई ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो जाए। इसके मद्देनज़र और उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हम प्रत्यर्थी को मृतक दयाल सिंह की मृत्यु का दोषी पाते हैं। हालाँकि, प्रत्यर्थी का मामला भा.दं.सं. की धारा 300 के तहत परिभाषित हत्या की परिभाषा में नहीं आता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी भा.दं.सं. की धारा 304 भाग 1 के तहत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी है।

37. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और प्रत्यर्थी को भा.दं.सं. की धारा 304 भाग 1 के तहत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया जाता है। जहाँ तक दंड का प्रश्न है, प्रत्यर्थी 63 वर्ष का है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वह पार्किंसंस रोग से पीड़ित है। यद्यपि प्रत्यर्थी की वृद्धावस्था और शारीरिक स्थिति दंड को कम करने वाले कारक हैं, फिर भी, हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी एक पुलिस अधिकारी है और उसकी अभिरक्षा में रहने के दौरान मृतक की शारीरिक भलाई सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य था। फिर भी, प्रत्यर्थी ने कानून का उल्लंघन करते हुए, स्वीकृति निकलवाने के अपने प्रयास में अत्यंत क्रूर व्यवहार के अवैध तरीकों

का सहारा लिया, जो कि, हमारे विचार में, एक गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। उपरोक्त संदर्भित कारकों और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दंड न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा।

38. हम तदनुसार प्रत्यर्थी को 10 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और रु.55,000/- का जुर्माना अदा करने का दंड देते हैं, जिसमें से रु.50,000/- की राशि मृतक के करीबी रिश्तेदार को भुगतान की जानी है और जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा।

39. अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया जाए और दंड भुगतने के लिए जेल भेजा जाए।

40. तदनुसार, अपील करने की अनुमति दी जाती है और पक्षकारों को अपने जुर्माने स्वयं वहन करने होंगे।

संजय किशन कौल, न्या.

15 जनवरी, 2010 अजीत भरिहोक, न्या.

डी.एम.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*